

न्यायालय:-माखनलाल झोड़, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय-बैहर

आपराधिक पुनरीक्षण क्रमांक /06/2017

Filing No. CRR/328/2017

संस्थित दिनांक- 03.03.2017

सी.एन.आर.नं.-एम.पी. 50050005622017

- 1- कांतीलाल चौहान उम्र 48 वर्ष वल्द ईसाराम चौहान
निवासी-ग्राम सोनपुरी थाना रुपझर तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 2- मनोज गौतम आयु 50 वर्ष वल्द देवीलाल गौतम
निवासी-ग्राम सोनपुरी थाना रुपझर तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 3- दिलीप राहंगडाले आयु 43 वर्ष वल्द मोतीराम राहंगडाले
निवासी-ग्राम सोनपुरी थाना रुपझर तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 4- प्रमोद नेमा आयु 50 वर्ष वल्द रोशन लाल नेमा
निवासी-वार्ड नंबर 11 तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 5- मोहनलाल मडावी आयु 45 वर्ष वल्द दशरथ मडावी
निवासी-ग्राम उमरिया थाना रुपझर तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 6- तरुण रावल आयु 50 वर्ष वल्द बंसतलाल रावल
निवासी-वार्ड नंबर 7 उकवा थाना रुपझर तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 7- मुरलीधर नर्सवानी आयु 53 वर्ष वल्द सच्चानंद
निवासी-वार्ड नंबर 6 उकवा थाना रुपझर तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 8- घनश्याम बिसेन आयु 70 वर्ष वल्द उक्कल बिसेन
निवासी-वार्ड नंबर 5 उकवा थाना रुपझर तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 9- राजू हरिन्द्रवार आयु 48 वर्ष वल्द बंशीलाल हरिन्द्रवार
निवासी-वार्ड नंबर 8 बिठली थाना रुपझर तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 10- श्रीमति अंजली देशमुख आयु 35 वर्ष पति महेश देशमुख
निवासी-वार्ड नंबर 17 उकवा थाना रुपझर तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 11- श्रीमति धर्मीबाई आयु 68 वर्ष पति कुमार आलोद
निवासी-ग्राम राजपुर थाना रुपझर तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 12- श्रीमति उषा गिरे आयु 45 वर्ष पति विजय गिरे
निवासी-वार्ड नंबर 6 उकवा थाना रुपझर तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 13- श्रीमति अनुपमा नेताम आयु 48 वर्ष पति भगत नेताम
निवासी-ग्राम दमोह तहसील बैहर जिला बालाघाट

- 14- रूपा आलोद आयु 38 वर्ष वल्द सूरजमल आलोद
निवासी-ग्राम राजपुर थाना रूपझर तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 15- सुरजीत ठाकुर आयु 36 वर्ष वल्द उत्तपान सिंह ठाकुर
निवासी-वार्ड नंबर 10 भटेरा रोड थाना कोतवाली तहसील जिला बालाघाट
- 16- श्रीमति रेखा बिसेन आयु 57 वर्ष पति गौरीशंकर बिसेन
निवासी-सिविल लाईन थाना कोतवाली तहसील जिला बालाघाट
- 17- दीपक भारद्वाज आयु 25 वर्ष वल्द प्रदीप भारद्वाज
निवासी-वार्ड नंबर 8 उकवा थाना रूपझर तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 18- भगत सिंह नेताम आयु 52 वर्ष वल्द सुनवा सिंह नेताम
निवासी-ग्राम दमोह तहसील बैहर जिला बालाघाट — — — पुनरीक्षणकर्तागण

// विरुद्ध //

मध्यप्रदेश शासन द्वारा:- पुलिस चौकी उकवा, थाना रूपझर
तहसील बैहर जिला बालाघाट — — —

गैरपुनरीक्षणकर्ता

न्यायालय: श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी बालाघाट
दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 530/2014 शासन बनाम कांतिलाल वगैरह में
पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पेश आवेदन अंतर्गत धारा 195 (1) (क) (1) द.प्र.सं. से व्यथित
होकर यह पुनरीक्षण याचिका पेश की है।

श्री अब्दुल मलिक कुरैशी अधिवक्ता वास्ते पुनरीक्षणकर्तागण।
श्री अभिजीत बापट, ए.पी.पी. वास्ते गैरपुनरीक्षणकर्ता।

— // // आदेश // // —

(आज दिनांक 16 जनवरी 2018 को पारित)

- 1- पुनरीक्षणकर्तागण ने यह पुनरीक्षण धारा 397 द0प्र0सं0 के अधीन न्यायालय
श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर द्वारा आपराधिक प्रकरण
क्रमांक 530/2014 में पुलिस थाना रूपझर के अपराध क्रमांक 108/2013 धारा 171 बी,
171 ई, 188 सहपठित धारा 34 भा.द.वि. के अधीन पेश अभियोग पत्र में सुनवाई करते हुए

दिनांक 10.01.2017 को पुनरीक्षणकर्तागण के आवेदन अंतर्गत धारा 195 (1) (क) (1) द.प्र.सं. को निरस्त किए जाने से परिवेदित होकर पेश की है।

2— पुनरीक्षणकर्तागण के आवेदन पत्र का सार यह है कि थाना रूपझर द्वारा धारा 188/34, 171 बी, 171 ई भा.द.वि. के अधीन अभियोग पत्र धारा 173 द.प्र.सं. के अधीन पेश किया है। अभियोग पत्र और परिवाद में अंतर है। परिवाद के संबंध में धारा 2 (घ) द.प्र.सं. में स्पष्ट प्रावधान है। धारा 188 भा.द.वि. का अपराध संज्ञेय है किंतु धारा 195 द.प्र.सं. के अनुसार परिवाद पर ही संस्थित हो सकेगा। पुलिस थाना रूपझर ने परिवाद पेश नहीं किया है, अन्वेषण की अनुमति नहीं ली है। न्यायालय द्वारा संज्ञान लेकर त्रुटि की गई है। दो अलग अलग अपराधों को संयोजित करते हुए आवेदन निरस्त किया गया है, अपराधों को पृथक् नहीं किया जा सकता। प्रतिवेदन को परिवाद मानकर त्रुटि की है। आदेश अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों और विधि के अधीन है। पुनरीक्षण स्वीकार कर आदेश दिनांक 10.01.2017 को निरस्त किए जाने की याचना की है।

3— उभयपक्ष द्वारा किये गये तर्कों को विचार में लिया गया। अधनीस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4— पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा पेश लिखित तर्क का अध्ययन किया गया। वस्तुतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 10.01.2017 द्वारा धारा 195 द.प्र.सं. के अधीन पेश आवेदन पत्र को निराकृत करते हुए निरस्त किया है, किंतु आरोप की विरचना नहीं की है।

5— मूल अभिलेख के अनुसार आरोप की विरचना दिनांक 17.08.2017 को की गई है। विद्वान विचारण न्यायालय ने धारा 171 (ड) एवं 171 (ड)/34 भा.द.वि. के अधीन आरोप की विरचना की है जिसे अधिवक्ता के माध्यम से पुनरीक्षणकर्तागण ने इंकार किया है।

6— प्रस्तुत पुनरीक्षण में आरोप के संबंध में प्रश्न नहीं उठाया है किंतु पेश लिखित तर्क के पद क्रमांक 4 में लेख किया है कि धारा 171 (च) भा.द.वि. को छोड़कर धारा 171

के अन्य सभी भाग असंज्ञेय है। इस हेतु विवेचना के लिए अनुमति लिया जाना आवश्यक है। उक्त आज्ञापक प्रक्रिया का पालन न किए जाने से प्रकरण में आरोप लगाकर त्रुटि की है।

7— पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से पेश न्यायदृष्टांत—ओमप्रकाश विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2016 (।।) एम.पी.वी.नो. 39 पेश किया गया, का अध्ययन किया गया। यह न्यायदृष्टांत धारा 188 भा.द.वि. के अपराध के संबंध में है। विद्वान विचारण न्यायालय ने धारा 188 भा.द.वि. के अधीन अपराध विवरण तैयार नहीं किया है, इसलिए इस न्यायदृष्टांत का कोई उपयोग पुनरीक्षण के निराकरण हेतु नहीं है।

8— अशोक एवं अन्य विरुद्ध द स्टेट 1987 किमिनल लॉ जर्नल 1750 पेश किया गया, का अध्ययन किया गया जो अपराध के प्रारंभ होने की आवली में या श्रृंखला में निरंतरता में जो अपराध हों तथा असंज्ञेय अपराध घटित होने के पश्चात् यदि कोई संज्ञेय अपराध भी घटित हो जावे तब ऐसे संज्ञेय अपराध के लिए परिवाद आवश्यक है प्रतिपादित है। यह न्यायदृष्टांत इस पुनरीक्षण हेतु पुनरीक्षणकर्तागण के लिए उपयोगी अथवा लाभदायक नहीं है।

9— रामजी भीकाजी कोली एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ़ गुजरात 1999 किमिनल लॉ जर्नल 1244 पेश किया गया, का अध्ययन किया गया। इस न्यायदृष्टांत में भी उपरोक्त न्यायदृष्टांत के समान ही श्रृंखला बाबद सिद्धांत प्रतिपादित है।

10— नारायण सिंह बौद्ध विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2014 (।।।) एम.पी.वी.नो. 31 पेश किया गया, का अध्ययन किया गया। धारा 171 (ड) के अधीन अपराध असंज्ञेय है। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस आफ़ीसर असंज्ञेय मामले का अन्वेषण नहीं कर सकता इसलिए धारा 171 (ख), 188 भा.द.वि. के अधीन आपराधिक कार्यवाही अभिखंडित माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा की गई है। पुनरीक्षण याचिका से संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 430/2014 म.प्र. राज्य विरुद्ध कांतिलाल वगैरह में भी नारायण सिंह बौद्ध विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. के मामले में प्रतिपादित सिद्धांत तथ्य और विधि के रूप में समान होने के कारण पुनरीक्षणकर्तागण के

विरुद्ध प्रारंभ से ही संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त कर विवेचना न किए जाने से तथा आरोपित अपराध असंज्ञेय होने से धारा 195 (क) (1) के विधिक प्रावधान के अधीन केवल परिवाद पर ही सुनवाई/अभियोजन हो सकेगा, स्पष्ट होने से प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है।

11— अतः पुनरीक्षणकर्तागण की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 10.01.2017 द्वारा धारा 188, 171 (ड) भा.द.वि. के अपराध में उन्मोचित न किए जाने के आदेश को निरस्त किया जाता है।

12— अपितु आरोप के विरुद्ध पुनरीक्षण नहीं है, किंतु अंतिम तर्क के पद क्रमांक 4 में इस बिंदु को उठाया गया है, को विचार में लिया गया। इस आदेश के पद क्रमांक 12 के द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 10.01.2017 को अभिखंडित किया गया है, इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के विधिक प्रावधानों के आधार पर असंज्ञेय मामले पर संज्ञान केवल परिवाद पर हो सकता है, के आधार पर धारा 171 (ड) भा.द.वि. का अपराध भी असंज्ञेय है इसलिए पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेकर त्रुटि किए जाने से, आदेश दिनांक 10.01.2017 अभिखंडित किए जाने से सभी पुनरीक्षणकर्तागण 1 लगायत 18 को धारा 171 (ड) भा.द.वि. एवं धारा 171 (ड)/34 भा.द.वि. के अपराध से उन्मोचित किया जाता है।

13— आदेश की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ संलग्न कर पालनार्थ प्रेषित की जावे।

14— पुनरीक्षण पंजी से निरस्त हो, नतीजा पंजी में दर्ज हो, अभिलेख, अभिलेखागार में जमा हो।

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

सही / —

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

सही / —

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर